

प्रेस नोट-32

दिनांक-18.09.2026

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation

Conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप लूट एवं हत्या के अभियुक्तों को मा० न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 1,50,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में **Operation Conviction** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी /न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु०अ०सं० 614/2017 धारा 396/412 भादवि थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के प्रकाश में आये 06 अभियुक्तगण में से 05 अभियुक्तगण 1.ओमप्रकाश उर्फ जगदीश पुत्र लाल बहादुर 2.कल्लू उर्फ वीरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश उर्फ जगदीश 3. टिल्कू उर्फ समर बहादुर पुत्र लाले उर्फ रामफेर निवासीगण पूरे गढ़ी अलादीन मजरे भीखीपुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी 4-आशीष उर्फ नन्हा पुत्र इन्द्रपाल वनमानुष 5-मुकेश उर्फ अरविन्द पुत्र सर्वजीत निवासीगण असनी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम जनपद रायबरेली द्वारा अभियुक्तों को दिनांक 17.09.2026 को धारा 396 भादवि में आजीवन कारावास व 1,00,000 रु० (एक लाख) अर्थदण्ड व धारा 412 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी तथा मा० न्यायालय में विचारण के दौरान 01 अभियुक्त सुरेश उर्फ मनोज पुत्र शिवबहादुर वनमानुष निवासी अमरहा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली की मृत्यु हो गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

प्रश्रुत अभियोग में वादी मुकदमा श्री बब्बन पुत्र रामलाल निवासी पूरे रानी मजरे तिलोई थाना मोहनगंज जनपद अमेठी द्वारा दिनांक 24.05.2017 समय 06.45 बजे सुबह की तहरीरी सूचना के आधार पर कि अज्ञात बदमाशों द्वारा वादी की मां (श्यामा) व भाई (मदन) की हत्या कर देना व घर का सामान लूट ले जाने पर मु०अ०सं० 614/2017 धारा 302/394 भादवि थाना मोहनगंज पर बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचक थानाध्यक्ष मोहनगंज श्री शेखर सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान निरीक्षण घटनास्थल व संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचना में धारा 396/412 भादवि में तरमीम कर प्रकाश में आये 06 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए लूटे गये माल की बरामदगी की गयी, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्या: ए-103 दिनांक 03.08.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।